मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

(मंत्रालय)

क्रमांक बी. 25/20/94/पी.डब्ल्यूसी/चार. भोपाल, दिनांक 20 मार्च, 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :--पेंशन स्वीकृति के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप पेंशन संबंधी पत्राचार के संबंध में.

संदर्भ :--वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. बी/25/20/94/पीडब्ल्यूसी/चार, दिनांक 22-10-96

राज्य शासन द्वारा दिनांक 1-6-95 से पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया का पूरी तरह विकेन्द्रीकरण कर यह कार्य समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को सौंप दिये जाने के कारण वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा पेंशन संचालनालय 31-3-97 के पश्चात् अस्तित्व में नहीं रहेगा. इस संचालनालय द्वारा प्रसारित सभी पी. पी. ओ. /जी.पी.ओ. संबंधी नस्तियां अन्य अभिलेख संचालक, कोष एवं लेखा तथा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा पेंशन को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं. अतः भविष्य में पेंशन से संबंधित किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार कृपया संचालक, कोष एवं लेखा, जोन-1 महाराणा प्रताप नगर, भोपाल अथवा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन से किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(एस. जी. लिमये)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग